आज सारे संसार की सरकारें, लीडर और प्रेस एक स्वर से चिल्ला कर कह रहे हैं कि "हिटलर पागल हो गया है, वह स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र का जानी-दुश्मन है. उसके रहते संसार का कल्याण नहीं; उसे बढ़ने मत दो।" और इसके बाद दुहाई देते है कि हिटलरवाद का नाश कर देना चाहिए। पर वे यह नहीं कहते कि हिटलर का नाश कर दो। क्योंकि वे मानते हैं कि बुराई स्वयं हिटलर नाम के जीव में नहीं है, वरन् उसके पीछे काम कर रही विचार-धारा में है। आज जनता इस विचार-धारा से कम वाकिफ है। इस छोटी-सी पुस्तिका के द्वारा इसी दिशा में प्रयत्न किया गया है।

श्री रामनारायण यादवेन्दु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर हिन्दी के इने-गिने श्रेष्ठ लेखकों में से हैं। योरोपीय राजनीति का आपने विशद अध्ययन किया है। आपकी अगली पुस्तिकाएँ पाठकों के सामने शीघ्र आएँगी।

**प्रथम बार अप्रैल, १९४१**



**मुद्रक : प्रदीप प्रेस, मुरादाबाद.**

# हिटलर की
# विचार-धारा

## भूमिका

संसार के शान्तिप्रिय तथा स्वाधीनता-प्रेमी राष्ट्रों में आज हिटलर के विरुद्ध एक प्रबल लोकमत है। आज संसार का जागृत लोकमत हिटलर की विचारधारा तथा उसके सिद्धान्तों का घोर विरोधी है। भारत में भी "हिटलरवाद" का प्रबल विरोध किया जारहा है। भारत के सभी राजनीतिक दल तथा राजनीतिक कार्य-कर्त्ता नाज़ीवाद—हिटलर की विचारधारा या फ़िलॉसफ़ी के प्रबल विरोधी हैं। महात्मा गांधी से लेकर श्री मुहम्मद अली जिन्ना तक हिटलरवाद के विरोधी हैं। परन्तु हिटलरवाद क्या है? हिटलर के सिद्धान्त क्या हैं? नाज़ीवाद क्या बला है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कम लोग जानते होंगे। हिटलरवाद के विरुद्ध देश में व्यापक प्रचार होने के कारण जनता यह तो जान गई है कि हिटलर अंगरेजों का शत्रु है और वह इंगलैंड को जीतना चाहता है। वह यूरोप के स्वतन्त्र देशों को बुरी तरह कुचल रहा है।। परन्तु उसके इन समस्त बर्बरतापूर्ण कार्यों के पीछे कौन-से प्रेरक सिद्धान्त काम कर रहे हैं—इसे बहुत कम लोग जानते हैं। अत: हम इस पुस्तिका में हिटलर की विचारधारा की विश्लेषणात्मक विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे।

### विचारधारा की पृष्ठभूमि

हिटलर की विचारधारा जर्मनी के लिए नवीन नहीं है। उसके अङ्कुर जर्मनी के प्राचीन-कालीन दार्शनिकों की विचारधारा तथा

फ़िलॉसफ़ी में पहले से ही विद्यमान थे। हिटलर ने उन्ही अङ्कुरों को सींच-सींच कर नाज़ीवाद की विष-बेलि के रूप में बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक ट्रीट्स्के (Trietschke) ने अपने 'पॉलीटिक' नामक निबंध में जिन राजनीतिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है, उनसे हिटलर की फिलॉसफ़ी को बड़ी स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई है। ट्रीट्स्के ने लिखा है—

"राज्य का तत्व न्याय नहीं, शक्ति है; और उसकी शक्ति का विस्तार ही राज्य का सर्वश्रेष्ठ नैतिक कर्त्तव्य है। विश्व में राज्य ही सबसे महान् चीज़ है। यही उचितानुचित का जनक है। राज्य पर कोई नैतिक नियन्त्रण नहीं। इस भूमि पर कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो राज्य पर कोई बन्धन लगा सके। अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना नैतिकता का कोई मूल्य नहीं और राज्य के बाहर शक्ति है कहां? राज्यों में परस्पर निपटारों का साधन युद्ध हैं। युद्ध मानवता के लिए दैवी उपचार है, जिसके द्वारा सबल और योग्य राज्य दूसरे पर अपनी उच्चता और श्रेष्ठता की छाप लगा सकता है। राज्य का यह परम कर्त्तव्य है कि वह युद्ध के प्रत्येक अवसर का उपयोग करे—अपनी शक्ति का विस्तार करे।" ❀

हिटलर की फ़िलॉसफ़ी का आधार यही विचारधारा है जो जर्मन विचारक ने उपर्युक्त शब्दों में व्यक्त की है। इसमें तीन मुख्य बातों पर ज़ोर दिया गया है—(१) अन्तर्राष्ट्रीयता का

❀ देखिये मेरी "राष्ट्रसंघ और विश्वशान्ति"
(मानसरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद) पृष्ठ १३२।

विरोध ( २ ) युद्धों की अनिवार्यता ( ३ ) राज्य की सत्ता का विस्तार अर्थात आधुनिक भाषा में औपनिवेशिक विस्तार या साम्राज्यवाद। हम अगले पृष्ठों में मुख्यत: इन्हीं तीन बातों को हिटलर की विचारधारा में देखेंगे।

## 'मेरा संघर्ष'

आज से प्राय: १५ वर्ष पूर्व जेल में जर्मनी के नेता हर्र हिटलर ने अपना जीवन-चरित लिखा जो 'मेन-केम्फ' अर्थात 'मेरा संघर्ष' के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। इस पुस्तक का जर्मनी में बड़ा प्रचार है और एक प्रकार से यह नाज़ीदल की 'बाइबिल' है। संसार की सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।

इस पुस्तक में हिटलर ने अपने राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धान्तों को नग्न रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसके पढ़ने के बाद पाठक के हृदय तथा मस्तिष्क पर यही प्रभाव पड़ता है कि हिटलर मानवता का महान् शत्रु और घृणा का प्रचारक है।

## आर्य जाति की सर्वश्रेष्ठता

हिटलर ने अपने आत्म-चरित में लिखा है कि "इस संसार में मनुष्य का किया हुआ जो कुछ भी हमारी श्रद्धा और आदर की वस्तु है, उसका श्रेय केवल आर्य जाति को है। कला, साहित्य, विज्ञान तथा सभ्यता और संस्कृति की दुनिया में जो कुछ भी अमर, उच्च और सबके लिए आदर योग्य है, वह सभी आर्यों की देन है। अन्य जातियां या तो इनकी धरोहर की रक्षा में तत्पर हैं या इनके विनाश में। मनुष्य जाति में तीन प्रकार के लोग देखने में आते हैं। एक तो वे जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपनी अलौकिक देवोपम प्रतिभा के बल से सभ्यता और

संस्कृति का निर्माण किया। दूसरे वे जिन्होंने उस संस्कृति को सुरक्षित रखा। और तीसरे वे जो इस अमर विभूति को नष्ट करने के लिए मानो पैदा हुए हैं।" ( पृ० ५३ )

इस अवतरण में जो मद् विचार व्यक्त किये गए हैं, उनसे कोई भी विद्वान् सहमत हो सकता है। वास्तव में संसार की सबसे प्राचीन जाति आर्य ही है। और सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है और सबसे प्राचीन देश आर्यावर्त है। परन्तु आज हिटलर इस सत्य को स्वीकार नहीं करता और न वह इस मानी में आर्य जाति को मानता ही है। उसकी जाति-कल्पना सर्वथा अवैज्ञानिक तथा विचित्र है। आज यूरोप में हिटलर जर्मन जाति को ही सर्वश्रेष्ठ जाति मानता है और उसके मतानुसार वही आर्य कहलाने की अधिकारिणी है। वह लिखता है—

"हम आर्य लोग राष्ट्र का प्रधान कर्त्तव्य यही समझते हैं कि वह हमारी जाति और नस्ल को सर्वथा शुद्ध रखने में तत्पर रहे और कोई ऐसी बात संभव न होने दे जिससे उक्त जातियां हमारे रक्त के संसर्ग से उच्चता प्राप्त कर हमारा अस्तित्व ही मिटादें।" यही कारण है कि हिटलर रक्त-शुद्धता पर अधिक जोर देता है और वह यहूदियों के साथ ससर्ग करने को आर्य जर्मन जाति के लिए अनिष्ट मानता है। वह जर्मनों को ललकार कर कहता है—

"यदि जर्मन जाति को संसार में कुछ कर दिखाना है तो राष्ट्र का पहिला कर्त्तव्य होगा जाति और नस्ल के बिखरे हुए तत्वों को और नार्डिक नस्ल की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं की रक्षा करना। हमारी भावी सन्तानें इन विशेषताओं से रहित न होने पावें, यही हमारा लक्ष्य होगा। विश्व में हमारा प्राधान्य

तभी स्थापित होसकेगा।......हमारे गृह में उन्हीं लोगों के लिए स्थान है जिन्होंने अपना रक्त शुद्ध रखा है। सौभाग्य से सभी ऐसे लोग हैं। यदि इनके रक्त का सम्मिश्रण उक्त जातियों से न होने दिया जाय, तो वर्ण-सङ्कर प्रजा अपने आप विलुप्त हो जायगी।" ( पृ० ६०-६१ )

रक्त की विशुद्धता के लिए हिटलर ने यह स्पष्ट बताया है कि जर्मन जाति को किसी अन्य जाति से संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो जर्मन नर-नारी संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं तथा जो दुर्बल हैं उन्हें चाहिए कि वे सन्तान पैदा न करें। परन्तु स्वस्थ तथा सम्पन्न जर्मनों को चाहिए कि वे सन्तति-निग्रह के साधनों का परित्याग कर अधिक से अधिक स्वस्थ सन्तान पैदा करें।

जाति की श्रेष्ठता ( Racial Superiority ) का सिद्धांत बड़े विचित्र ढंग से जर्मन-राज्य में लागू किया जाता है। जातीय राष्ट्र अपने अधिकारियों को तीन भागों में विभक्त करता है—

( १ ) राष्ट्र के नागरिक ( Citizens )

( २ ) राष्ट्र की प्रजा ( *Subjects* )

( ३ ) विदेशी ( Foreigners )

यदि जर्मनी में किसी व्यक्ति का जन्म हो, तो इस कारण वह जर्मनी की प्रजा कहला सकता है; परन्तु नागरिक होने के लिए उसे यह प्रमाणित करना होगा कि वह जर्मन है। इस प्रकार नागरिकता के अधिकार जर्मन जाति के लोगों को ही प्राप्त हैं। प्रजा इन समस्त अधिकारों से वञ्चित रहती है।'दूसरे राष्ट्र' की प्रजा को विदेशी कहा जाता है। यदि जर्मन-प्रजा नागरिक

होना चाहे तो उसे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करनी होगी; इसके बाद शारीरिक व्यायाम की शिक्षा तथा बाद में सैनिक शिक्षा का कोर्स पूरा करना पड़ेगा। तभी वह नागरिक हो सकेगा।

## राष्ट्रीय समाजवाद या नाज़ीवाद

हिटलर ने अपनी विचारधारा अथवा फ़िलॉसफ़ी को 'राष्ट्रीय समाजवाद' ( National Socialism ) के नाम से प्रसिद्ध किया है। परन्तु वस्तुतः इस विचारधारा का समाजवाद या मार्क्सवाद से कोई सम्बंध नहीं। यह तो समाजवाद की विरोधिनी विचारधारा है। परन्तु अपने सिद्धांतों को 'राष्ट्रीय समाजवाद' नाम जिस हेतु दिया वह वास्तव में उस परिस्थिति के अनुकूल था जिसमें इसका जन्म हुआ। नाज़ी शब्द इसका संक्षिप्त रूप है।

विगत सन् १९१४-१८ के विश्व-युद्ध के बाद जर्मन-साम्राज्य का पतन होगया। जर्मनी में एकतंत्र-शासन-प्रणाली का अन्त होगया और सन् १९२० में प्रजातंत्र-शासन-प्रणाली की स्थापना की गई जो सन् १९३३ तक शासन-संचालन करती रही। इस समय देश की आर्थिक परिस्थिति बड़ी शोचनीय थी। जनता में ग़ज़ब की बेकारी और भयङ्कर ग़रीबी का राज था। पड़ौसी राज्य में समाजवादी-व्यवस्था स्थापित होगई थी और रूसी राज्य-क्रांति के बाद समस्त यूरोप में समाजवाद की लहर व्याप्त हो चुकी थी। सन् १९१९ में जर्मन-जाति में दो प्रधान दल थे। एक राष्ट्रवादी दल था; ये लोग अपनी बुद्धि और क्रम के ज़ोर से जाति के उत्थान करने का दम भरते थे। इनके मुक़ाबिले करोड़ों की संख्या वाला महान् जन समुदाय था जिस पर

मार्क्सवादी विचारधारा का पूरा प्रभाव हो चुका था। ये जातीयता के विरोधी थे। अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-क्रांति में इनका विश्वास था। यहूदियों में अधिकांश समाजवादी विचार के लोग थे। यहूदी बड़े पूंजीपति तथा बैंकर थे। इसलिए ऐसे अवसर पर जबकि जर्मनी में समाजवादी विचारधारा का बहुसंख्यक जर्मनों पर गहरा प्रभाव था, हिटलर ने बड़ी युक्ति से काम लिया। उसने 'समाजवाद' शब्द को तो ग्रहण किया; क्योंकि इसका विरोध करने से जर्मन जनता में वह लोक-प्रियता प्राप्त नहीं कर सकता था। परन्तु समाजवाद का राष्ट्रीयता से सम्बन्ध जोड़कर उसे मार्क्स के समाजवाद से भिन्न बनाकर एक नये रूप में जर्मन जनता के सामने रखा।

उसने जर्मनों को यह सुझाया कि हम समाजवाद तो चाहते हैं परंतु ऐसा समाजवाद ही हम चाहते हैं जो जर्मनी का पुनरुत्थान कर सके उसकी ग़रीबी और बेकारी को दूर कर सके तथा संसार में फिर जर्मनी का सिर ऊँचा उठ सके। परंतु ऐसा तभी सम्भव है जबकि यहूदियों के कुचक्र से जर्मन बच जाएं। मार्क्स यहूदी था। उसने समाजवाद का सिद्धांत अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए निकाला है। वह यहूदियों का संसार में प्राधान्य चाहता था। इस प्रकार जातीय मनोविज्ञान को हिटलर ने पलट दिया और जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद की जड़ जम गई। सन् १६१६ में इस आन्दोलन के जो मुख्य सिद्धांत निश्चय किये गए, वे निम्न प्रकार हैं—

(१) जातीय जागरण के निमित्त विराट जन-समूह को अपने पक्ष में करने के लिए हमें बड़े से बड़ा बलिदान और स्वार्थ-त्याग के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए।

(२) जन-समूह को जातीयता की शिक्षा परोक्ष रूप से दी जासकती है; और ऐसा कर सकने से पहले उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना होगा।

(३) जन-समूह में जो विचार घर कर गया है, उसे हटाने के लिए उससे प्रबल एक दूसरे विचार को प्रचलित करना होगा। मार्क्सवादी विचारधारा के स्थान पर इससे ज्यादा सफल एक दूसरी विचारधारा जनता में फैलानी है। और यह तभी सम्भव है, जब ये अन्तर्राष्ट्रीय विष फैलाने वाले पूर्णतया नष्ट कर दिए जायें।

(४) रक्त को शुद्ध रखने के लिए हर उपाय काम में लाना होगा।

(५) देश की सार्वजनिक उन्नति में सभी की स्थिति सुधरनी चाहिए। एकांगी उन्नति घातक है। सबसे आवश्यक बात है श्रमिकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में इतनी उन्नति कर देना कि मध्यम श्रेणी के लोगों और इनमें ज्यादा अन्तर न रह जाय।

(६) हमें प्रचार करना होगा और यह आंदोलन विराट जन-समुदाय के लिए होगा।

(७) हमें अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए केवल जनता या सरकार पर प्रभाव डालने से ही संतोष न कर लेना चाहिए। प्रत्युत अपने हाथ में पूरी सत्ता हस्तगत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(८) यह आंदोलन स्वभाव से ही पार्लिमेंट का विरोधी है। इसकी आभ्यन्तरिक अवस्था ही ऐसी है कि कार्रवाई पार्लिमेंट विधि के बिल्कुल प्रतिकूल हो। हमारे आंदोलन की पूरी शक्ति

और उसके फलाफल का समस्त उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर होगा।

(९) इस आन्दोलन का धार्मिक क्रान्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह केवल राजनीति से सम्बंध रखेगा।

(१०) इस आन्दोलन की आन्तरिक व्यवस्था ऐसी होगी कि जिससे काम जल्दी होसके।

(११) कोई भी आन्दोलन तभी सफल होसकता है जब उसके सिद्धांतों की रक्षा के लिए उसके अनुयायी अन्त तक लड़ने और साथ देने के लिए प्रस्तुत हों। उनको अपने आन्दोलन से इतना प्रेम होना चाहिए कि किसी दूसरे आन्दोलन का अस्तित्व वे सहन न कर सकें। उनको अपने आन्दोलन की सत्यता और न्याय-पूर्णता में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मरते दम तक वे इससे विमुख न हों।

(१२) इस आन्दोलन में अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि संघर्ष या युद्ध एक वांछनीय वस्तु है।

(१३) प्रधान के व्यक्तित्व के प्रति आदर-भाव की शिक्षा देने में यह आन्दोलन अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। जिसके अनुयायियों में व्यक्तित्व के प्रति हद दर्जे का प्रेम और आदर-भाव नहीं है, वह कभी कोई काम नहीं कर सकता। संसार के बड़े से बड़े काम, बड़ी से बड़ी क्रांतियों और बड़े से बड़े सुधार किसी एक राजनीतिज्ञ की प्रतिभा और शक्ति के बल पर हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति जिस आन्दोलन के समर्थकों में पूर्ण आस्था और प्रेम-भाव नहीं है उसकी सफलता की कोई आशा नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त सिद्धान्तों पर एक दृष्टि डालने से कई महत्वपूर्ण बातों का पता लग जाता है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि यह राष्ट्रीय समाजवाद एक बिल्कुल सारहीन तथा निरर्थक पाखंड है, विडम्बना है। इसमें जर्मन जनता के लिए न कोई आर्थिक व्यवस्था है और न कोई राजनीतिक प्रणाली। इन सिद्धान्तों में सबसे अधिक जोर एक व्यक्ति के नेतृत्व पर ही दिया गया है और एक व्यक्ति के नेतृत्व अथवा शासन के संचालन की सुविधा के लिए ही ये सब सिद्धान्त स्थापित किये गए हैं। समाजवाद–मार्क्सवाद के विरुद्ध जनता को भड़काने, यहूदियों का बहिष्कार करने तथा एक दल और एक नेता की जर्मनी में सत्ता स्थापित करने पर ही ध्यान दिया गया है।

## साम्यवाद का विरोध

हर हिटलर साम्यवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का कट्टर विरोधी है। समाजवाद से विरोध के क्या कारण हैं–यह उपर्युक्त सिद्धान्तों से प्रकट हो जाता है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि हिटलर जर्मनी का शासक या नेता होना चाहता था और जिस समय उसने राष्ट्रीय समाजवादी दल की स्थापना की उस समय उसके दल में केवल सात सदस्य थे। हिटलर तथा उसके दल के इन सदस्यों को कोई जानता तक न था। ऐसी दशा में जर्मनी के विशाल जन-समुदाय में प्रचलित समाजवादी विचारधारा को नष्ट करके ही हिटलर उनका नेता बन सकता था और यहूदियों को भी देश के बाहर निकाल देने के लिए भी एक बहाना तलाश करना था। यह समाजवादी-विचारधारा जनता के हृदय में इतनी घर कर गई थी कि इसके नाश के लिए एक नई तथा

जोरदार विचारधारा तथा फ़िलॉसफ़ी की आवश्यकता थी। अतः हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवाद नामक विचारधारा का अविष्कार किया। इस विचारधारा की जड़ तभी जम सकती थी जब कि जनता के हृदय से समाजवादी विचारधारा को नष्ट कर दिया जाता। अतः हिटलर ने समाजवाद तथा यहूदियों का विरोध करना शुरू किया। समाजवाद का प्रवर्त्तक व्यक्ति मार्क्स था जो जर्मनी का रहने वाला एक यहूदी ही था। यह भी एक बड़ा बहाना उसे मिल गया और यहूदी जाति को ही अपना शत्रु घोषित कर दिया।

हिटलर यहूदियों के विषय में अपनी पुस्तक 'मेरा-संघर्ष' ( आत्मचरित ) में एक स्थान पर लिखता है—

"······जबकि सारी मानव-सभ्यता व्यक्ति की उत्पादनशक्ति के वरदान-स्वरूप ही प्राप्त हो सकी है, तब आज बहुमत की पूजा का ढोंग रचा जा रहा है । बहुमत का फैसला ही सब बातों में अन्तिम निर्णय माना जा रहा है। और इसके फलस्वरूप बहुमत तले सारे समाज का व्यक्तिगत जीवन विषाक्त बनाया जा रहा है।"

"यह यहूदियों के षड्यन्त्र का परिणाम है । ये व्यक्ति की श्रेष्ठता को नष्ट करने के लिए बहुमत की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जिन जातियों की छत्र छाया में ये पल रहे हैं उन्हीं के व्यक्तिगत महत्व को गिरा कर उसके स्थान पर जन-समूह की राय का झण्डा गाड़ना चाहते हैं।"

"यह स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स यहूदी के सिद्धान्त की जड़ में यही बात है कि किसी प्रकार व्यक्ति के महत्व को गिरा कर, मनुष्य-जीवन के सभी प्रकार के कार्यों में बहुमत या

संख्याधिक्य का सिक्का जमाया जाय। राजनीति की दुनिया में इस सिद्धान्त ने पार्लिमैंटरी शासन-विधि का रूप पकड़ा। छोटी-से छोटी समिति से लेकर सारे साम्राज्य में इस विषाक्त सिद्धांत से काम लिया जारहा है।" ( मेरा संघर्ष पृ० १०५ )

"आदि-काल से लेकर यहूदी अब तक ज्यों का त्यों है। उसके मस्तिष्क या विचारों का कोई विकास नहीं हुआ।" ( मेरा संघर्ष पृ० ५५ )

"इसका कारण यह है कि यहूदियों के सामने कभी कोई आदर्श नहीं रहा।" ( पृ० ५५ )

"...लोक मंगलकारी सभ्यता या संस्कृति के क्षेत्र में यहूदियों की कोई देन नहीं है। कला या साहित्य की दुनिया में भी इनका कोई स्थान नहीं है।" ( पृ० ५५ )

"जर्मन लड़कियों को बरगलाना और उनका सत्यानाश कर उन्हें कुलटा बनाना यहूदी युवकों का धार्मिक कर्त्तव्य-सा होरहा था। इनका एक सुव्यवस्थित केन्द्र था। सारी जर्मन जाति को वर्णसंकर बनाने का ये बीड़ा उठा चुके थे। राइनलैंड में नीग्रो लोगों को ये ही लाये। इनका उद्देश्य यह था कि नीग्रो लोगों ( हबशियों ) के द्वारा सारी जाति को वर्णसंकर बनाया जाय। क्योंकि ये भली भांति जानते थे कि जब तक जर्मन प्रजा का रक्त शुद्ध और उसकी नस्ल ठीक है, तब तक ये उस पर पूरा प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। यहूदी इस बात को भली भांति समझते हैं कि उनका सिक्का वर्णसंकर प्रजा पर ही जम सकता है।" ( मेरा संघर्ष पृ० ६१-६२ )

"इस विषैली मार्क्सवादी विचारधारा के घातक प्रचार से

श्रेष्ठ जाति का विनाश ही सम्भव है और इसी उद्देश्य से इसका प्रचार किया गया है।……हमें इसी सिद्धांत का मूलोच्छेदन करना है…।" ( मेरा संघर्ष पृ० ८५ )

"इसी अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्जातीय एकता वाले भयानक सिद्धांत के प्रचारक कार्ल मार्क्स यहूदी का उद्देश्य ही यही था कि 'विश्वप्रेम' और 'अन्तर्राष्ट्रीयता' आदि की लम्बी चौड़ी गप्पें हांक कर दुनिया को धोखे में डाल आर्य जाति के गले पर छुरी चलावे और यहूदियों को सबसे ऊपर उठावे।" ( मेरा संघर्ष पृ० ६० )

"वर्त्तमान् यहूदी विचारधारा को मिटा देना ही हमारा ध्येय है। हमारे नये दृष्टिकोण की स्थापना उसके अन्त होने पर ही निर्भर है।" ( मेरा संघर्ष पृ० १०८ )

हेर हिटलर ने अपने आत्म-चरित—'मेरा संघर्ष' में आदि से अन्त तक यहूदियों, मार्क्स तथा उसकी विचारधारा–समाजवाद—पर बड़े ही आक्रमण किये हैं—उन पर जर्मनी के पतन का दोषारोपण किया है तथा मार्क्सवाद या समाजवाद को घृणा का प्रचारक सिद्धान्त कहा है। यहूदियों की इससे बढ़कर निन्दा क्या हो सकती है कि वे जर्मन युवतियों को भ्रष्ट करते हैं और सृष्टि की आदि से आज तक न उनकी कोई मानसिक उन्नति हुई और न आत्मिक विकास ही। हिटलर बहुमत के निर्णय द्वारा शासन-प्रणाली के आविष्कार का अपराध कार्ल मार्क्स के माथे मढ़ता है। यह अज्ञानता और मूर्खता ही नहीं इतिहास के साथ अन्याय भी है। बहुमत-शासन प्रणाली का प्रजातन्त्र ( Democracy ) का सिद्धान्त है और इसकी स्थापना तो

कार्ल मार्क्स से कई सदियों पहले इंगलैंड और अमेरिका में हो चुकी थी। फिर इसे मार्क्स के माथे मढ़ना सरासर अन्याय है, और है भीषण दोषारोपण।

हिटलर ने लिखा है कि बहुमत का शासन इसलिए लादा गया कि व्यक्तियों की श्रेष्ठता नष्ट होजाय और संसार भर में यहूदियों का राज्य स्थापित होजाय। परन्तु वस्तुतः यह सर्वथा मिथ्या कल्पना है। बहुमत शासन-प्रजातन्त्र का मौलिक सिद्धांत है। बहुमत का शासन यह सिद्ध करता है कि राज्य मे व्यक्तियों तथा व्यक्तित्व का आदर है और व्यक्तियों की आकांक्षा का आदर किया जाता है। इसके विपरीत एकतन्त्र-प्रणाली अथवा एक शासक या नेता का शासन यह सिद्ध करता है कि राज्य में व्यक्तियों या व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। क्या सोवियट रूस में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना से यहूदियों का सिक्का अखिल संसार में जम गया? क्या सोवियट रूस का शासन-तंत्र यहूदियों के हाथ मे है? यहूदियों और ग़ैर यहूदियों का प्रश्न ही नहीं है। समाजवाद का लक्ष्य तो कुछ व्यक्तियों के गुट्टतन्त्र का नाश कर उसके स्थान पर समाज के समस्त व्यक्तियों मे आर्थिक तथा राजनीतिक समानता की स्थापना करना है। वैज्ञानिक समाजवाद न यहूदियों की स्वार्थ-सिद्धि के लिए है और न वह व्यक्तियों की स्वाधीनता तथा व्यक्तित्व का सर्वनाश करने के लिए है। यह कल्पना भी मिथ्या और भ्रम पूर्ण है। कि संसार में कोई जाति हीन है या नीच है अथवा जर्मन जाति ही संसार

राष्ट्र-कल्पना

में सर्वश्रेष्ठ है। हर हिटलर ने जर्मन जनता में इस प्रकार की भ्रम-पूर्ण बातों का प्रचार करके ही अपना प्रभुत्व क़ायम किया है

और इस प्रभुत्व-स्थापना में विगत विश्व-युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति ने योग दिया। यही हिटलर की प्रभुता का रहस्य है।

हिटलर की राष्ट्र-कल्पना का मूलाधार जातीय-भावना ( Racial Spirit ) है। राष्ट्र-निर्माण में जातीय भाव ही प्रमुख है और जातीय भावना के प्राधान्य के लिए यह आवश्यक है कि रक्त की शुद्धता पर अधिक ज़ोर दिया जाय। हर हिटलर ने लिखा है—

"जाति या प्रजा में एकता भाषा की बदौलत नहीं बल्कि रक्त की एकता के कारण संभव है। मान लीजिए कि विभिन्न जातियों के कुछ लोग किसी राष्ट्र के अन्दर समान भाषा का व्यवहार करने लगें तो उनमें क्या सच्ची एक समता पैदा हो सकती है? एक जाति की भाषा जब दूसरी जाति अपनाती है तो वह उसका रक्त तो अपनाती नहीं। नस्ल तो वही रहेगी। इसके साथ ही उन के संस्कार और संस्कृति आदि की विभिन्नता भी रहेगी। इन बातों में परिवर्तन तो रक्त के सम्मिश्रण से ही सम्भव है। पर रक्त के सम्मिश्रण से एक दूसरी भयानक हानि निश्चित है। उच्चतर जाति जब अपना रक्त निम्नतर जाति से मिलाने लगेगी और इसके फलस्वरूप जो वर्णसंकर प्रजा होगी वह क्या शारीरिक, क्या मानसिक, किसी भी शक्ति में उस मौलिक उच्च जाति के समान न हो सकेगी। और ज्यों ज्यो यह सम्मिश्रण बढ़ता जायगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उस मौलिक जाति की सब विशेषताएं लुप्त होती जायेंगी।" ( मेरा संघर्ष पृ० ८८ )

"मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां के यहूदी अमेरिका जाने पर सिर्फ इसलिए 'जर्मन' क़रार दिये जाते हैं कि

वे जर्मन भाषा बोलते हैं। यह जर्मन जाति के लिए घोर अपमान जनक है।

"लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मौलिक संस्कृति, सभ्यता और उच्च आदर्शों के सृजन करने की शक्ति उच्चतम् जाति और विशुद्ध रक्त के लोगों में होती है और इस दृष्टि से जाति की रक्त-विशुद्धता को क़ायम रखना ही राष्ट्र का पहला धर्म है।" ( मेरा संघर्ष पृ० ८६ )

"अन्त में हमारे जातीय राष्ट्र का यह भी कर्त्तव्य होगा कि विश्व इतिहास इस दृष्टि से लिखवावे जिसमें जाति और नस्ल के प्रश्न को अधिक महत्व दिया जाय।" ( मेरा संघर्ष पृ० ६७ )

"शिक्षा की रूपरेखा कुछ इस ढंग से खड़ी करनी होगी कि प्रत्येक अपने को पहले 'जर्मन' समझे, फिर और कुछ। वह शिक्षा शिक्षा नहीं जो जाति और नस्ल के महत्व का ज्ञान नहीं कराती। यदि हमारी शिक्षा-पद्धति में इस बात पर यथोचित ध्यान दिया गया होता तो समाजवादी प्रचार को इतनी सफलता नहीं मिलती।" ( मेरा संघर्ष पृ० ६८ )

"अन्त में हमारा कथन यह है कि जो जाति अपने वंश की विशेषताओं और अपने जातीय अस्तित्व तथा गौरव की रक्षा में दत्तचित्त नहीं हैं, उसके लिए क्या शारीरिक, क्या मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है।" ( मेरा संघर्ष पृ० ६८ )

"पर सब बातों में जाति और नस्ल की उच्चता का ध्यान रखना राष्ट्र का पहला कर्त्तव्य होगा। आज अगर कोई नीग्रो-हब्शी-वकालत पास कर लेता है, तो उसके मानी यह नहीं कि

वह हमारे बराबर होगया। यहूदी कहेगा कि यह इस बात का प्रमाण है कि आदमी सब बराबर हैं। अक्ल के दुश्मन मध्य वर्ग के हमारे लोग प्रशंसा-सूचक आश्चर्य के साथ उस नीग्रो वकील को देखते ही रह जायंगे। पर ये मूर्ख यह नहीं समझते कि प्रकृति ने जिस आदमी को जिस काम के लिए नहीं बनाया उसको उस बात की शिक्षा देना प्रकृति के विरुद्ध भारी पाप है। हमारे आर्य जाति के लाखों करोड़ों होनहार शिक्षा की सुविधा बिना अपढ़ रह जायें और ज़ूलू, काफ़िर या हाटेंटाट लोगों की धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा के लिए हम परेशान रहें, यह कहां का तर्क है।" (मेरा संघर्ष पृ० ६६)

आधुनिक समय में संसार में कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि वह सर्वथा विशुद्ध जाति है अथवा उसका सृष्टि के आदि से आज पर्यन्त किसी दूसरी जाति से सम्मिश्रण नहीं हुआ। इसलिए यह दावा करना कि जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध जाति है, सर्वथा ग़लत और अशुद्ध है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जातियों या नस्लों के अस्तित्व को मिटा देना चाहते हैं। संसार में अनेक जातियां हैं, उनकी अपनी संस्कृति और विचार धाराएं हैं। प्रत्येक जाति जब दूसरी जाति के सम्पर्क में आती है, तो सभ्यता, संस्कृति और विचार धाराओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आप भारत का उदाहरण ले लें। यहां आज से २-३ शताब्दियों से पूर्व अंगरेज़ आये। उन्होंने यहां व्यापार शुरू किया। बाद में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। इनके आने से पूर्व मुग़लों का राज्य भारत में रहा। अंगरेज़ों के शासन-काल में यद्यपि अंगरेज़ों का भारतीयों के साथ सम्मिश्रण नहीं हुआ-रक्त का सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ तब भी भारतीयों

ने अंगरेजों की सभ्यता, शिष्टाचार, आचार-विचार, संस्कृति तथा रहन-सहन और पोशाक को अपनाया। अतः यह सिद्ध है कि किसी जाति पर संस्कृति तथा सभ्यता का प्रभाव डालने के लिए रक्त का सम्मिश्रण आवश्यक नहीं। हिटलर की यह कल्पना कि बिना रक्त के सम्मिश्रण के राष्ट्र में एकरूपता अथवा संस्कृतियों का आदान-प्रदान सम्भव नहीं—सर्वथा ग़लत है।

आज संसार में किसी भी भाग में जातीय राष्ट्र नहीं है और न जातीय राष्ट्र को महत्व ही दिया जाता है। आज तो हम संसार में ऐसे राष्ट्र पाते हैं जो न जाति, भाषा तथा संस्कृति की दृष्टियों से एक हैं और न रक्त की विशुद्धता की दृष्टि से। आज तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता का आधार राष्ट्र के प्रति भक्ति ही है और अमेरिका का कनाडा देश तथा यूरोप का स्विटज़रलैंड देश इस बात का ज्वलन्त प्रमाण हैं कि राष्ट्रीयता कई राष्ट्र में बसने वाली कई जातियों में भी संभव है।

यद्यपि भारत में हिन्दू तथा मुस्लिम दो प्रमुख जातियां ( Races ) हैं, तथापि भारत में राष्ट्रीयता के उदय में इससे कोई बाधा नहीं पड़ी। आज हम यह गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है और भारतीय उस राष्ट्र के नागरिक हैं।

जातीय राष्ट्र का सिद्धान्त मानवता के कल्याण के लिए बड़ा घातक है। यह सिद्धान्त एक जाति को सर्वश्रेष्ठ या विशुद्ध सिद्ध करके दूसरी जाति को निम्नतर तथा अशुद्ध बतलाता है और इस प्रकार इस मानवता-विरोधी विचार को पुष्टि मिलती है कि संसार में ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ और विशुद्ध जातिको संसार की निम्न-तर तथा अशुद्ध जातियों पर शासन करने के लिए पैदा किया है।

जातीय सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीयता और विश्व-प्रेम की स्थापना में भी बाधक है। इससे संसार में संघर्ष, युद्ध और राष्ट्रीय अशान्ति को ही प्रोत्साहन मिलता है।

अतः इस सिद्धान्त का सर्वनाश ही मानवता के लिए श्रेयस्कर होगा। संसार में कोई भी जाति किसी दूसरी जाति से केवल रक्त-विशुद्धता के कारण उच्चतम या निम्नतम नहीं है।

## सब मनुष्य बराबर नहीं हैं !

हिटलर संसार में सब जातियों को बराबर नहीं मानता—यह तो भली भांति स्पष्ट है। परन्तु वह एक जाति के सब मनुष्यों को भी बराबर नहीं मानता। हर हिटलर ने लिखा है—

"हमारा सिद्धान्त यह नहीं स्वीकार करता कि सब मनुष्य या जातियां बराबर हैं। संस्कृति या सभ्यता के अनुसार कुछ जातियां का पद औरों से ऊँचा रहा है। यही प्रकृति का और मानवता का नियम सनातन से रहा है।" (मेरा संघर्ष पृ० ८५)

"हम इस बात को नहीं मानते कि आदमी सब बराबर हैं। कुछ निम्नतर लोगों के लिए यह स्वाभाविक है कि वह इस बात का प्रचार करें कि सभी जातियां बराबर हैं। उनकी वृद्धि इसी प्रकार हो सकती है। समाज में ऊंचा स्थान उन्हें इसी रीति से मिल सकता है।" ( मेरा संघर्ष पृ० ८६ )

"हमारा राष्ट्र इस मामले में बड़ा सतर्क रहेगा कि जो आदमी जन्म से जिस प्रकार की शिक्षा, व्यवसाय, या पद के लिए उपयुक्त हो, उसको वैसी ही शिक्षा दी जाय।"
( मेरा संघर्ष पृ० ६६ )

इन अवतरणों से यह भली भांति सिद्ध होता है कि हिटलर गुण तथा कार्य और स्वभाव से किसी मनुष्य की योग्यता व श्रेष्ठता की परख नहीं करता; प्रत्युत उसकी सबसे बड़ी कसौटी किसी उच्चतम् कहलाने वाले वंश में जन्म या किसी श्रेष्ठतम कहाने वाली जाति का सदस्य होना है।

संसार में सब मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में समान हैं। यह सभी धार्मिक विद्वान् मानते हैं और सभी प्रजातन्त्रवादी यह मानते हैं कि सब मनुष्य क़ानून की दृष्टि में समान हैं। परन्तु हर हिटलर की फ़िलॉसफ़ी इसके विपरीत है। क़ानून तथा जर्मनी के शासन-विधान की दृष्टि से सब मनुष्य बराबर नहीं हैं और न सब मनुष्यों को अपनी उन्नति करने के लिए राज्य की ओर से बराबर सुविधाएं तथा अधिकार ही प्राप्त हैं। जिस राज्य में केवल जन्म के आधार पर व्यक्तियों को व्यवसाय या पद ग्रहण करने का अधिकार हो, उस राज्य में योग्यता, कार्यकुशलता तथा विद्वत्ता का कोई क्या आदर करेगा। और सत्य तो यह है कि ऐसे राज्य में सब मनुष्य न सुखी रह सकते हैं और न सब मनुष्य स्वतन्त्रता से अपना जीवन बिता सकते हैं। जिस राज्य में क़ानून की दृष्टि में सब मनुष्य समान नहीं, वहां क़ानून का राज्य नहीं होसकता और जहां क़ानून का राज्य नहीं वहां शासक मनमानी करता है और उसके शब्द ही क़ानून माने जाते हैं। यह स्थिति वास्तव में स्वाधीनता के लिए एक महान् ख़तरा है।

## अधिनायक-तन्त्र में विश्वास

हर हिटलर प्रजातन्त्र का विरोधी है; वह यह नहीं चाहता कि किसी भी देश का शासन उसके समस्त नागरिकों द्वारा

निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हो। वह तो देश में एक नेता—एक शासक का स्वच्छन्द शासन चाहता है। इसी प्रकार के विचार उसने अपने आत्मचरित—मेरा संघर्ष-में प्रकट किये हैं। उसने लिखा है—

"मानव की उन्नति और मानवता का निर्माण जनसमूह द्वारा कहीं नहीं हुआ। इसका श्रेय सदा किसी असाधारण प्रतिभावान् व्यक्ति को ही मिला है।" ( मेरा संघर्ष पृ० ७१ )

"जो व्यक्ति प्रधान होगा उसे सर्वोच्च और सीमा-रहित अधिकार दिये जायेंगे। पर उसे सबसे बड़ा और शेष उत्तरदायित्व का भागी भी बनना पड़ेगा।" ( मेरा संघर्ष पृ० ७० )

"अपने दिमाग़ से कोई नई योजना निकालना किसी एक आदमी का काम होता है और मनुष्य-समाज की उन्नति तभी होती है जब सब कोई उसकी योजना को संगठित रूप से कार्य रूप में परिणत करते हैं। जन-समाज का कल्याण इसी प्रकार सम्भव है। यह संगठित कार्य तभी सफल होता है जब जन-समूह एकमत होकर उस मनुष्य के मस्तिष्क को सर्वोपरि स्थान देता है।" ( मेरा संघर्ष पृ० १०४ )

इस प्रकार का जर्मन जनता में प्रचार कर हिटलर ने अपनी डिक्टेटरशिप की जड़ जमाने का प्रयत्न किया और उसे इसमें सफलता भी मिली। परन्तु यह अधिनायक-तन्त्र जनता के लिए कभी उपयोगी और श्रेयस्कर सिद्ध नहीं हो सकता। जर्मनी में भी जनता इस अधिनायक-तन्त्र में सुखी नहीं है। जर्मनी में जो कुछ आश्चर्यजनक उन्नति दीख पड़ रही है, वह सब युद्ध-देवता की आराधना के हेतु किये गए प्रयत्नों का ही फल है। एक बात और

भी है—यह अधिनायक-तन्त्र स्थायी शासन-प्रणाली का स्थान नहीं ले सकती। यह तो संक्रमण-काल की वस्तु है।

### अन्तर्राष्ट्रीयता और शान्तिवाद में अविश्वास

हर्र हिटलर अन्तर्राष्ट्रीयता और शान्तिवाद के सर्वथा विरुद्ध है। विश्व-शान्ति के सम्बन्ध में उसका मत यह है कि--

"वस्तुत: शान्तिवादी–मानववादी विचार एक पूर्णत: उत्कृष्ट विचार है परन्तु इस शर्त के साथ कि सबसे पहले सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च मानव जाति संसार के इतने भाग को अपने आधिपत्य में लेले कि वह उसकी एक मात्र स्वामिन होजाय। ···इसलिए हमें सबसे पहले संघर्ष करना चाहिए और शान्तिवाद शायद बाद में।" 1

इसका तात्पर्य यह है कि जर्मन जाति, जिसे हिटलर सर्वश्रेष्ठ जाति मानता है, ही संसार में राज करने के लिए ईश्वर ने पैदा की है। जब संसार भर में जर्मनी का शासन स्थापित हो जायगा, तब कहीं बाद में शान्ति-स्थापना की बात पर विचार किया जायगा।

"यदि कोई व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, तो उसे युद्ध करना चाहिए—संघर्ष करना चाहिए और यदि कोई मनुष्य इस अविराम संघर्ष शील संसार में संघर्ष के प्रति उदासीन है, तो उसे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है।" 2

एक दूसरे स्थान पर हिटलर ने लिखा है—

---

1 Herr Hitler : Mein Kampf 181 st German Edition p. 315

2 Vide Same ,, ,, ,, p. 317

"यदि किसी गुट्टबन्दी का लक्ष्य युद्ध नहीं है, तो वह व्यर्थ और बेमतलब है।" 3

## विश्व-विजय का स्वप्न

हिटलर का चरम लक्ष्य, जैसा कि उपर्युक्त अवतरणों से सर्वथा स्पष्ट है, संसार का विजेता बनकर विश्व-विजयी कहलाने का गौरव प्राप्त करना है। वह जर्मन-जाति को ही सर्वश्रेष्ठ जाति मानता है और उसके सिद्धान्तानुसार सर्वश्रेष्ठ जाति को ही संसार भर पर राज करने का अधिकार है। इसी भावना से प्रेरित होकर वह आज यूरोप में प्रजातन्त्र तथा स्वाधीन राज्यों का दमन कर रहा है।

उसका ध्येय है जर्मन कुलीन-तन्त्र संसार की इतर जातियों का गुलाम बनाकर रखे। हाल ही में जर्मनी के कृषि-विभाग के मन्त्री दारे ने इस संबन्ध में स्पष्ट शब्दों में नाज़ी-नीति बतलायी है। वह शब्द निम्न प्रकार हैं—

"यह ( जर्मन ) कुलीन-तन्त्र अपने अधीन दास रखेगा; ये दास कुलीन-तन्त्र की वैयक्तिक सम्पत्ति होंगे और ये भूमि हीन ग़ैर-जर्मन जातियों में से बनाये जायंगे। कृपया 'दास' शब्द की व्याख्या या परिभाषा किसी आलंकारिक या कथानक की भाषा में न कीजिए। हमारे मस्तिष्क में मध्य कालीन दास-प्रथा का आधुनिक चित्र बिल्कुल साफ़ है; हमें दासता की व्याख्या करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें अपने महान् कार्यों के सम्पादन के लिये

---

3 Vide Same : Mein Kampf 181 st German Edition p. 749

**इन तीन अवतरणों के अतिरिक्त अन्य दूसरे अवतरण "मेरा संघर्ष" ( हिन्दी संस्करण ) सरस्वती-सीरीज़ इण्डियन-प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ से लिये गये हैं। —लेखक**

उसकी आवश्यकता होगी। इन दासों को किसी प्रकार भी निरक्षरता के वरदानों से वंचित न रखा जायगा; क्योंकि भविष्य में, यूरोप में, उच्च शिक्षा केवल जर्मन-जाति के लिए ही सुरक्षित रखी जायगी।" [1]

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि हिटलर वर्तमान युद्ध यूरोप और संसार भर की दूसरी जातियों को गुलाम बनाने के लिए लड़ रहा है। यह हिटलर का कितना भीषण तथा भयंकर स्वप्न है!

## नाज़ी सिद्धान्तों का सारांश

अन्त में हम सक्षेप में हेर हिटलर के सिद्धान्तों का सारांश और उसका कार्य्यक्रम यहां दे देना उचित समझते हैं। इससे पाठक यह जान सकेंगे कि हिटलर और उसकी विचारधारा कहां तक संसार तथा मानवता के लिए घातक है।

१. हिटलर मानवता का घोर शत्रु है। वह मानवता की एकता में विश्वास नहीं करता। जर्मन-जाति को ही श्रेष्ठ जाति मानता है।

२. हिटलर व्यक्तियों को समान नहीं मानता और न व्यक्तिगत नागरिक स्वाधीनता में ही विश्वास करता है।

३. हिटलर प्रजातन्त्र का घोर विरोधी है। वह एक-तन्त्र शासन-पद्धति में विश्वास करता है।

४. वह जर्मन तथा आर्य जाति से इतर जातियों को गुलाम

1 The Leader ( Allahabad ) March 4, 1941.
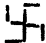
बनाने के लिए आदेश करता है। ❀

५. वह जन-साधारण में साक्षरता-प्रसार का विरोधी है।

६. वह नैतिकता का आदर नहीं करता और न उसे अपनी विचारधारा में स्थान देना ही चाहता है।

७. वह आतंकवाद और हिंसावाद का समर्थक है। इन्हीं साधनों से वह अपना नेतृत्व क़ायम रखना चाहता है।

८. प्रचार की अजेय शक्ति में हिटलर का पूर्ण विश्वास है। उसका यह कथन है कि युक्ति पूर्वक किये गये प्रचार द्वारा स्वर्ग को नर्क के रूप में दिखलाया जा सकता है और नर्क का स्वर्ग के रूप में।

९. वह संसार का विजेता बनना चाहता है।

१०. वह विश्व-शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीयता का घोर शत्रु है।

## हिटलर का कार्यक्रम

२५ फ़र्वरी १९२० को हिटलर ने म्यूनिच में राष्ट्रीय समाजवादी दल की पहली सभा में अपने पहले भाषण में अपने दल की नीति तथा कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की उसका संक्षिप्त

---

❀ हिटलर जर्मन को आर्य-जाति कहता है और स्वस्तिका 卐 को अपना पवित्र चिन्ह मानता है। इस कारण भारत की प्राचीन आर्य-जाति के उत्तराधिकारी हिन्दुओं में भ्रान्ति फैलने की संभावना है। पर वस्तुतः वह भारत के हिन्दुओं को आर्य जाति नहीं मानता।

—लेखक

सारांश निम्न प्रकार है—

(१) संसार में समस्त जर्मन संगठित होकर विशाल जर्मनी का निर्माण करें।

(२) वार्साई तथा सेन-संधियां रद्द करदी जांय।

(३) जर्मनी की बढ़ती हुई जनता के लिए भूमि चाहिए। इस लिए उपनिवेश बनाये जांय।

(४) जर्मन जाति के लोग ही जर्मन राष्ट्र के नागरिक बन सकते हैं। जर्मन-रक्त के लोग ही जर्मन जाति के माने जायंगे।

(५) जो व्यक्ति जर्मन-राष्ट्र का नहीं होगा, वह जर्मनी का नागरिक नहीं माना जायगा और न उसे नागरिकता के पूर्ण अधिकार ही प्राप्त होंगे।

(६) मताधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होगा। राष्ट्र के समस्त पद नागरिकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।

(७) राष्ट्र का मुख्य कर्त्तव्य नागरिकों की जीविका तथा उद्योग धन्धों में उन्नति करना होगा।

(८) ग़ैर-जर्मनों को जर्मनी में बसने की आज्ञा नहीं दी जायगी। २ अगस्त १६४१ से पहले तक जितने अनार्य जर्मनी में आये उनको राष्ट्र के बाहर चले जानेपर बाध्य किया जाय।

(६) प्रत्येक नागरिक को अपने शरीर व मस्तिष्क से काम करना होगा। विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत काम से सार्वजनिक उन्नति में बाधा न पड़ने पावेगी।

(१०) जो आय काम करके पैदा नहीं की गई है, वह ज़ब्त करली जायगी।

(११) युद्ध के सिलसिले में पूंजी पतियों ने जो सम्पत्ति पैदा की है अथवा जो लाभ उठाया है, वह ज़ब्त कर लिया जायगा।

(१२) समस्त औद्योगिक कम्पनियों तथा ट्रस्टों का नाश कर सम्पत्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(१३) हमारी मांग यह है कि थोक-व्यापार का लाभ विभक्त कर दिया जाय।

(१४) वृद्धावस्था के लिए राष्ट्रीय सहायता दी जाय।

(१५) स्वस्थ मध्यवर्ग की सृष्टि करनी चाहिए और थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। छोटे व्यापारियों की सहायता की जाय।

(१६) भूमि-क़ानून में सुधार किया जाय। भूमि-ऋण पर ब्याज न लिया जाय। बिना क्षतिपूर्ति के राष्ट्रीय कार्य के लिए भूमि प्राप्त की जासके।

(१७) जो राष्ट्रहित विरोधी कार्य करें जैसे सूदखोर तथा मुनाफ़ा खाने वाले, उन पर मुक़द्दमे चलाये जांय।

(१८) रोमन-क़ानून की जगह जर्मन-क़ानून बनाया जाय।

(१९) जर्मनों के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जांय। व्यावहारिक जीवन की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर स्कूलों का पाठ्य-क्रम बनाया जाय। दरिद्र परिवारों के होनहार बच्चों को राष्ट्र शिक्षित बनाये।

(२०) राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा की जाय। माताओं तथा नव-जात बच्चों के स्वास्थ्य की राष्ट्र रक्षा करे।

(२१) वैतनिक सेना की जगह राष्ट्रीय सेना हो।

(२२) समाचार पत्रों में झूठे समाचार छापने वाले सम्पादकों को दण्ड दिया जाय।

(२३) धार्मिक स्वाधीनता सब जर्मनों के लिए हो।

(२४) उपर्युक्त कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए जर्मनी में एक शक्ति-शाली सत्व हो।

इस दल के सदस्य इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शपथ-पूर्वक अग्रसर होंगे और आवश्यकता होने पर उसके लिए प्राणों की आहुति देंगे।

समाप्तिः

सामयिक विषयों पर हिन्दी में

# मानसरोवर पैंफ़लेट

---

**इस नये सीरीज़ के अन्तर्गत**

प्रसिद्ध नेताओं और लेखकों की
अधिकार-पूर्ण लेखनी द्वारा लिखित पुस्तिकाएं ही छापी जायंगी।

इन पुस्तिकाओं में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला जायगा। जिन आन्दोलनों और प्रश्नों पर पाठक आये-दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं उनके बारे में ठोस और ज्ञानवर्द्धक सामग्री संक्षेप में दी जायगी। जनता में फैली ग़लत-फ़हमियों को दूर कर, सही मार्ग का प्रदर्शन करना; यही इस सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य है।

**प्रति मास कई संख्याओं में छपेगी**

**विषय-सूची पीछे देखिये**

*पृष्ठ संख्या ३२* *मूल्य तीन आने नेट*